संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय
रायपुर–छत्तीसगढ़

दूरभाष : 0771–2537404, टेलीफैक्स 0771–2234731
ई–मेल : deptt_culture@yahoo.co.in वेब साइट : www.cgculture.in

क्रमांक 1223 अनु. / स.पु. / 2024 रायपुर, दिनांक 30 / 7 / 2024

मैनुअल पद्वति निविदा सूचना

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है:–

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रूपए लाख में)	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि
1	2	3
(1).राज्य संरक्षित स्मारक गढ़धनोरा जिला–कोण्डागांव के मंदिर क 04 ,05, 06, 07 में अनुरक्षण कार्य।	9.78	14.08.024
(2).राज्य संरक्षित स्मारक शिव मंदिर पलारी जिला–बालोद में पुरातत्वीय विधि से मरमम्मत, पेंटींग,फर्शी पत्थर, पोईंटींग इत्यादि अन्य मरम्मत का कार्य।	5.19	14.08.024
(3).राज्य संरक्षित स्मारक स्वास्तिक विहार सिरपुर जिला–महासमुंद में पुरतत्वीय बाउंण्ड्रीवाल ,लेवलिंग पूर्व में निर्मित बाउण्ड्रीवाल में मरमम्मत एवं पेंटींग इत्यादि अन्य मरम्मत का कार्य।	9.64	14.08.024

- निविदा के सामान्य शर्ते विस्तृत निविदा विज्ञप्ति एवं निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में उपस्थित होकर निविदा जारी दिनांक से देखी जा सकती है।

संचालक
पुरातत्व अभि.एवं संग्रहालय
रायपुर(छ.ग.)

संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय
रायपुर–छत्तीसगढ़

दूरभाष : 0771–2537404, टेलीफैक्स 0771–2234731
ई–मेल : deptt_culture@yahoo.co.in वेब साइट : www.cgculture.in

क्रमांक/1323/अनु./स.पु./ 2024 रायपुर, दिनांक 30/7/2024

निविदा की शर्तें
मैनुअल पद्धति निविदा सूचना

—::—

निम्नलिखित कार्य के लिये छ.ग. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र 'अ' पर मुहरबंद निविदायें PWD SOR एक जनवरी 2015 की दरों पर प्रतिशत आधार पर छ.ग. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से लिफाफा पद्धति के अनुरूप मुहरबंद निविदायें पंजीकृत डाक (ए.डी.) तथा स्पीड पोस्ट सर्विस द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा आमंत्रित की जाती है।

मुहरबंद निविदायें समिति के सदस्य एवं उपस्थित निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र के साथ ठेकेदारी पंजीयन, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, वाणिज्यकर कार्यालय का पंजीयन एवं चुकता प्रमाण पत्र, बैंक साल्वेंसी, इंजीनियर नियोजन पूर्व में किये गये कार्यो का अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां अनिवार्यतः प्रस्तुत करें एवं मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करावें अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं की जावेगी। निविदा प्रपत्र कार्यालय से कार्यालयीन समय में निर्धारित शुल्क जो वापस योग्य नहीं है, नगद भुगतान पर प्राप्त किए जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना कार्यालयीन समय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। आवश्यकता होने पर कार्य तथा निविदा सूचना के संबंध में आकस्मिक संशोधन इस कार्यालय के सूचना पटल पर लगाई जावेगी। निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित होने पर आगामी कार्य दिवस में निविदा प्रस्तुत एवं खोली जावेगी।

01. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि **14.08.2024 शाम 5:00 बजे तक।**
02. मुहर बंद निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि **27.08.2024.शाम 5:00 बजे तक।**
03. निविदा खोलने की तिथि एवं समय दिनांक **28.08.2024 दोपहर 12.00 बजे।**

क्र.	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानिक राशि	बयाने की राशि	ठेकेदार की श्रेणी	कार्यावधि	निविदा प्रपत्र की राशि
1.	राज्य संरक्षित स्मारक गढ़धनोरा जिला–कोण्डागांव के मंदिर क 04,05,06,07 में अनुरक्षण कार्य।	9,78,000.00	19,600.00	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादेश से तीन माह	750.00
2.	राज्य संरक्षित स्मारक शिव मंदिर पलारी जिला–बालोद में पुरातत्वीय विधि से मरमम्मत, पेंटींग,फर्शी पत्थर, पोईंटींग इत्यादि अन्य मरम्मत का कार्य।	5,19,700.00	10,500.00	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादेश से तीन माह	750.00
3.	राज्य संरक्षित स्मारक स्वास्तिक विहार सिरपुर जिला–महासमुंद में पुरतत्वीय बाउण्ड्रीवाल ,लेवलिंग पूर्व में निर्मित बाउण्ड्रीवाल में मरमम्मत एवं पेंटींग इत्यादि अन्य मरम्मत का काय	9,64,700.00	19,300.00	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादेश से तीन माह	750.00

निविदा की शर्तें :–

04. अमानत राशि राशि एफ.डी.आर./बैंक ड्राफ्ट जो कि संचालक, पुरातत्व अभिलेखागर एवं संग्रहालय, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर सिविल लाईन रायपुर छ.ग. के नाम से देय हो तथा कम से कम तीन वर्ष की अवधि का हो जिसे निविदा के साथ अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ब्याने की राशि के अभाव में निविदा बिना खोले वापस कर दी जायेगी।
05. किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं त्रुटियुक्त, ओव्हर रायटिंग, अपूर्ण हस्ताक्षरित तथा सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
06. मुहरबंद निविदाओं के प्रत्येक लिफाफे पर कार्य का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है।
07. ऐसे ठेकेदार जो एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत उपयुक्त श्रेणी में लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत है।
08. निविदा दो अलग–अलग लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत किया जावेगा। प्रथम लिफाफा में अमानत राशि के साथ सत्य निष्ठा सपथ पत्र तथा द्वितीय लिफाफा में वित्तीय प्रस्ताव। उक्त दोनो लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में भरकर मुहरबंद करके पंजीकृत डाक(ए.डी) या स्पीड

OPPO F11 Pro · ©SHOT BY IPHONE 12

पोस्ट सर्विस के माध्यम से प्रेषित करना होगा।प्रथम लिफाफा में अमानत राशि प्राप्त नही होने की दशा में वित्तीय प्रस्ताव नही खोला जावेगा।

9. विस्तृत निविदा विवरण की विशेष शर्तें की कंडिका क्र.–8(1) के अनुसार प्रस्तुत निविदा असंतुलित होने पर निविदा राशि का पांच प्रतिशत अतिरिक्त अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में अनुबंध के पूर्व जमा करना होगा।

10.उपरोक्त कार्यो हेतु ठेकेदार/फर्म को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा राज्य पुरात्तव विभाग में जारी निविदा में उल्लेखित प्रकार के कार्यों का 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य हैं, तुदपरांत निविदा प्रपत्र एवं विभाग की सामान्य शर्तों को लिखित में मान्य करने के उपरांत ही कोरी निविदा प्रपत्र जारी की जावेगी।

11. विशेष शर्त की कंडिका रू. 50.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी को वित्तीय प्रस्ताव खोलने हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अमानत राशि के लिफाफे में रखकर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

12. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति पंजी संधारित की जावेगी तथा प्रत्येक नियोजित श्रमिक को उसके बैंक एकाउण्ट में सीधे मजदुरी भुगतान शासन के प्रचलित नियमानुसार करना होगा तथा देयक भुगतान के समय कोई लेबर भुगतान शेष नही है का प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13.ठेकेदार को नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति पंजी/मस्टररोल, वेतन भुगतान पंजी, नियोजन पंजी का संधारण अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के साथ–साथ अन्य लाभ जैसे–ओव्हर टाइम भत्ता, बोनस, ग्रेच्युटी, मातृत्व हितलाभ, अवकाश, ई.इस.आई. भविष्य निधि तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी लाभ शासन के प्रचलित नियमानुसार देना होगा।

14.कार्यादेश प्राप्त फर्म/ठेकेदार को देयक भुगतान के समय देयक की राशि का 5% सुरक्षा राशि एफ.डी.आर.के रूप में जो कि संचालक पुरातत्व अभिलेखगार एवं संग्रहालय रायपुर के नाम से जो तीन वर्ष की अवधि का हो जमा करना होगा। कार्य के उपरांत ठेकेदार को तीन वर्ष तक स्वयं के व्यय से त्रुटि सुधार/रखरखाव करना होगा एवं तीन वर्ष पूर्ण होने के उपरांत संबंधित अधिकारी/अभियंता के द्वारा कार्य सत्यापन उपरांत एफ.डी.आर.विमुक्त की जावेगी।

15. परिशिष्ट 2.10 के एनेक्सर जी (स्पेशल कंडीशन ऑफ एन.आई.टी.) की कंडिका 4 (1से 5) के अनुसार कार्य पूर्ण होने के पश्चात 3 वर्ष तक कार्य का संधारण ठेकेदार को करना होगा, जिसके लिए कोई राशि अलग से देय नहीं होगा तथा कार्य नही करने पर जमा सुरक्षा राशि राजसात एवं इस विभाग में कार्य करने के लिए आयोग्य घोषित किया जावेगा जिसके लिए संबधित ठेकेदार/फर्म स्वयं जिम्मेदार होंगें।

16. विशेष शर्त की कंडिका 4 के अनुसार परफार्मेंस गारंटी के रूप में प्रत्येक देयक से 5% प्रतिशत अतिरिक्त सुरक्षा निधि काटी जाएगी जिसे कार्य पूर्ण होने पर 36 माह की बैंक गांरटी में बदला जा सकता है। ठेकेदार चाहे तो अनुबंध के पूर्व अनुबंध राशि की 5 प्रतिशत अतिरिक्त बैंक गारंटी जमा कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देयक से अतिरिक्त 5 प्रतिशत की राशि की कटौती नहीं की जावेगी। अमानत राशि कार्य पूर्ण होने के उपरांत तीन वर्ष के पश्चात ही वापस की जावेगी। निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नही करने पर कार्यालय में जमा अमानत राशि राजसात की कार्यवाही की जा सकेगी।

17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को वित्तीय क्षमता प्रमाण पत्र या इसकी सत्यापित प्रतिलिपि जो कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रमाणित हो, जिसका मुख्य निविदा राशि का 15 प्रतिशत होना चाहिए जो आवेदन के दिनांक से 12 माह से अधिक समायावधि का ना हो प्रस्तुत कराना अनिवार्य है।

18. अमानत राशि के साथ सत्यनिष्ठा शपथ पत्र प्राप्त नहीं होने पर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत लिफाफा निविदा प्रकिया में शामिल नहीं किया जावेगा।

19. किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न होने पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा तथा विवाद की स्थिति में संचालक पुरातत्व अभिलेखगार एवं संग्रहालय रायपुर का निर्णय दोनो पक्षों को अनिवार्य रूप से मान्य होगा।

20. उपरोक्त सामान्य शर्त तथा निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तों के साथ अनुबंध का भाग रहेगा जो ठेकेदार/फर्म को मान्य करना होगा।

संचालक
पुरातत्व अभि.एवं संग्रहालय
रायपुर(छ.ग.)

:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी मिली–जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व को पहचाने और उसे संरक्षण प्रदान करें। ::

OPPO F11 Pro · ©SHOT BY IPHONE 12